



आयकर आयुक्त -II का कार्यालय, कोल्हापुर  
आयकर भवन, 31, सी/2, ताराबाई पार्क, कोल्हापुर

फा. सं. को./आ. आ.-II/तकनिकी-II/80छ (80G)/<sup>21</sup>/<sub>12</sub>/2010-11 दिनांक 31/01/2011  
2385

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधिन

## मान्यता प्रमाणपत्र

दानकर्ताओ द्वारा ~~हेरिटेज कल्चर आर्ट अँड एज्युकेशन डेव्लपमेंट~~  
~~सोसायटी, लोजा, जिल्हा: रत्नागिरी~~

को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (80G) में विहित शर्तों और सीमाओं के अधिन कर राहत के लिए पात्र होंगे।

2. यह प्रमाणपत्र दिनांक 29/11/2010 से वैध है तथा इस कार्यालय द्वारा मान्यता वापस लेने तक वैध रहेगा।

3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4क) [139(4A)] व आयकर नियमावली 1962 के नियम 12 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

दिनांक : 31/01/2011

कोल्हापुर

प्रतिलिपी :



हस्ता / —  
( पुष्पलता श्रीवास्तव )  
आयकर आयुक्त -II, कोल्हापुर

1. न्यास/ संस्था ~~हेरिटेज कल्चर आर्ट अँड एज्युकेशन डेव्लपमेंट~~  
~~सोसायटी, द्वारा: समर्थ अपार्टमेंट, बी-203, सातवली, रोड~~  
~~मु.पो. (ता.लुका) : लोजा, जिल्हा: रत्नागिरी-416701.~~

2. अपर आयकर आयुक्त रेंज -2, कोल्हापुर

3. अपर आयकर आयुक्त रत्नागिरी/इचन्नकरजी रेंज, रत्नागिरी/इचन्नकरजी

4. सहाय्यक आयकर आयुक्त / आयकर अधिकारी वार्ड - 1 कोल्हापुर/रत्नागिरी/इचन्नकरजी  
टिप्पणी: (एक पेशी के साथ)

अ) दानकर्ताओ को जारी की गयी रसीदों में इस आदेश की संख्या व तारीख का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह प्रमाणपत्र दिनांक 29/11/2010 से वैध है।

आ) आय -व्यय खाता और तुलन-पत्र को हर साल सहाय्यक आयकर आयुक्त / आयकर अधिकारी वार्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

( एस. डी. गुळवणी )

आयकर अधिकारी (न्यायिक व तकनिकी -II)

कृते आयकर आयुक्त -II, कोल्हापुर

ATTESTED

*Rebun*  
Executive Magistrate  
Lanja